



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2009/पौष 15, 1930
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2009/PAUSA 15, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2009

(आय-कर)

का.आ. 21(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप-धारा (2) के खंड (15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (कर बचत) साविधि जमा स्कीम, 2008 को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

2 यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 03/2009/फा. सं. 149/72/2008-टीपीएल]

मनीष सरीन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2009

(INCOME-TAX)

S.O. 21(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xv) of sub-section (2) of Section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the National Housing Bank (Tax Saving) Term Deposit Scheme, 2008 for the purposes of the said clause.

2. The notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 03/2009/F. No. 149/72/2008-TPL]

MANISH SAREEN, Under Secy.